सं. 41034/5/2014-स्था.(आरक्षण) खंड-IV-पार्ट

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 06 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नवोन्नत वर्ग (क्रीमीलेयर) मानदंड का निर्धारण करने के लिए सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और बीमा संस्थानों के पदों की समतुल्यता निर्धारित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) (**प्रतिलिपि अनुलग्नक-I में संलग्न**) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा क्रमश: इसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए जाने थे।

2. अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमीलेयर मानदंड का निर्धारण करने के लिए सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और बीमा संस्थानों के पदों की समतुल्यता निर्धारित करने के लिए सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव की समीक्षा की थी। मंत्रिमंडल ने दिनांक 08.08.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रिमंडल टिप्पणी के पैरा 5.2 को अनुमोदन प्रदान किया था जिसमें सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और सार्वजनिक बीमा संगठनों के संबंध में समतुल्यता के निर्धारण हेतु सामान्य सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रिमंडल टिप्पणी के पैरा 5.2 और पैरा 9 के संगत उद्धरण **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

3. सार्वजनिक उद्यम विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग से यह अनुरोध है कि वे अनुलग्नक-II में संलग्न मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संगठनों को तुरंत आवश्यक आदेश जारी करने की सलाह दें, ताकि 31 मार्च, 2018 से पहले यह कार्य पूरा कर लिया जाए।

4. यह भी अनुरोध है कि इस मामले में जारी किए गए आदेशों को सभी संबंधितों द्वारा हमारे रिकार्ड के लिए इस विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पृष्ठांकित करने की व्यवस्था की जाए।

जी. श्रीनिवासन

(जी. श्रीनिवासन)

उप सचिव,

संलग्नक : यथोपरि

सेवा में,

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग,
   भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
   (ध्यानाकर्षण: श्रीमती सीमा बहुगुणा, सचिव)
   कमरा सं. 305, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

.....2/-

2. वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय,
(ध्यानाकर्षण: श्री राजीव कुमार, सचिव)
कमरा सं. 6ए, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

श्री बी.एल. मीणा, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 05.09.2017 के एमओएसजेएंडई, अ.शा. पत्र सं. 12015/8/2017-बीसी-II के संदर्भ में प्रति सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक - I

संख्या 36012/22/93-स्था0(अनु0जा0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

मुझे, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में इस विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1990 तथा 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/31/90-स्था0(अनु0जा0) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले (1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 930) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के लाभ से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को शामिल न किए जाने के लिए मानदण्डों की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने इस समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है ।

2. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर, उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित इस विभाग के दिनांक 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36.12/31/90-स्था0(अनु0जा0) में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए एतद्द्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं :-

(क) सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का 27% (सत्ताईस प्रतिशत) जिसे भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा । आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

(ख) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य उम्मीदवारों के लिए नियत किए गए मानकों पर किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं उन्हें 27% के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा ।

(ग) (i) उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा ।

(ii) आरक्षण से बाहर रखने का नियम कारीगरों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों अथवा पैतृक व्यवसायों, पेशे आदि में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा । ऐसे व्यवसायों, पेशों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी ।

(घ) पहले चरण में उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे जातियां तथा समुदाय होंगे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूचियों दोनों में एक समान है । ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है ।

(ङ) उपर्युक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । किन्तु ये उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां भर्ती की प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई है ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के बारे में इसी प्रकार के अनुदेश क्रमशः लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तारीख से जारी किए जाएंगे ।

सरिता प्रसाद

(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि:

(i) लोक उद्यम विभाग,
नई दिल्ली ।

(ii) वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग)
नई दिल्ली ।

अनुरोध है कि इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा निगमों के बारे में भी जारी किए जाएं

अनुसूची

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
I.	संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) भारत के राष्ट्रपति ; (ख) भारत के उपराष्ट्रपति (ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (घ) संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ; भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ; (ङ) समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति ।
II.	सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां)
क.	अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह क श्रेणी-I अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)	(क) जिनके माता-पिता, दोनों ही श्रेणी-I अधिकारी हैं ; (ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक श्रेणी-I अधिकारी है ; (ग) जिनके माता-पिता में दोनों ही श्रेणी-I अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।

1	2	3
		(घ) जिनके माता-पिता में से एक श्रेणी-I अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी तारीख अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा ली हो ।
		(ङ) जिनके माता पिता दोनों ही श्रेणी-I के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :- निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (यों) (क) जिनके माता-पिता में कोई एक या दोनों श्रेणी-। अधिकारी हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है, (ख) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह श्रेणी-। अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन देना चाहती है ।

1.	2.	3.
ख.	केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह ख श्रेणी ।। के अधिकारी (सीधी भर्ती)	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) जिनके माता-पिता जो दोनों ही श्रेणी ।। अधिकारी हैं । (ख) जिनके माता-पिता में से केवल पति श्रेणी ।। का अधिकारी है और वह 40 अथवा इससे पूर्व आयु में श्रेणी । अधिकारी बनता है । (ग) जिनके माता पिता दोनों ही श्रेणी ।। अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो; (घ) जिनके माता पिता में से पति श्रेणी । अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी श्रेणी ।। अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए; अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए, तथा (ङ) जिनके माता-पिता में से पत्नी श्रेणी । अधिकारी हो (सीधी भर्ती से अथवा 40 से पूर्व पदोन्नत) एवं पति श्रेणी ।। अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए । बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:- निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) (क) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-।। अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।

.....4/-

2.	3.
	(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-।। अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष विश्व बैंक जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ।
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी	इस श्रेणी में उपर्युक्त क तथा ख में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा तुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियुक्ति के अन्तर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा । इन संस्थानों में समकक्ष अथवा तुल्य आधार पर पदों के मूल्यांकन तक, इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर निम्न श्रेणी 6 निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।
।।।. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध-सैनिक बल शामिल हैं (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है) ।	उन माता पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जलसेना तथा वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है । (।) यदि सशस्त्र सेना के *किसी* अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ श्रेणी में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुंच जाएगी । बशर्ते कि:- (।।) पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं जोड़ा जाएगा । (।।।) यहां तक कि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्दे नजर नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह मद संख्या ।। के तहत सेवा की श्रेणी में न आ जाए।

1	2	3
IV	व्यावसायिक श्रेणी तथा व्यापार और उद्योग में लगे हुए कर्मचारी (i) चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आयकर-परामर्शदाता, वित्तीय तथा प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता, वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटककार खिलाड़ी, जन संचार व्यवसायी पेशेवर खिलाड़ी, अथवा समानस्तर के अन्य व्यवसाय; एवं	श्रेणी VI के सामने निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।

1	2	3
	(2) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	श्रेणी VI के आगे दर्शाया गया मानदण्ड लागू होगा । **स्पष्टीकरण:-** i. जहाँ पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी श्रेणी II अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा । ii. यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति श्रेणी II अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पत्ति का आकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जायेगा ।
V.	सम्पत्ति धारक	
	A. कृषि जोत	एक ही परिवार (माता, पिता तथा अवयस्क बच्चों) के पुत्र तथा पुत्रियाँ

1	2	3
		जो निम्नलिखित के स्वामी हैं: [क] केवल सिंचित भूमि के जो कानूनी सीमा के 85% क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या [ख] निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि: अपवर्जन नियम वहाँ लागू होगा जहाँ कि पूर्वनिर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र [जिसे कामन नाम के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो] अर्थात् सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी ऊपरी सीमा का 40% या उससे अधिक हो । [इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को बाहर निकालकर की जाएगी] यदि यह 40% से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जाएगा । यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान विनिमय सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार में बदलकर किया जाएगा । इस असिंचित क्षेत्र में से आकलित सिंचित

1	2	3
		क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र में जमा किया जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के लिए तय की गई कानूनी ऊपरी सीमा का 85% या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी । ii. यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णत असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।
ख. बागान		
(i) काफी, चाय, रबड़ आदि		नीचे श्रेणी VI में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मापदण्ड लागू होगा ।
(ii) आम, खट्टे फल तेल के बाग आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिए इस श्रेणी पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा ।
ग. खाली भूमि और/या शहरी तथा उप-नगरीय क्षेत्रों में इमारतें		नीचे श्रेणी VI में निर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा :-

1	2	3
		स्पष्टीकरण : भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ।
	VI. आय/सम्पत्ति आंकलन	
	@ पुत्र तथा पुत्री [यां]	@
	[क] वे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक हो या जिनके पास पिछले तीन वर्षों में लगातार सम्पत्ति कर नियमावली में दी गई सीमा से अधिक की सम्पत्ति हो ।	

1. 3.

(ख) श्रेणी I, II, III तथा IV ए जो कि आरक्षण की सुविधा के हकदार नहीं है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के मापदण्ड के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण: (I) वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(II) रुपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा । तथापि परिस्थितियों की माँग के अनुरूप अंतरणावधि कम भी हो सकती है ।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची में जहाँ कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सके ।

अनुलग्नक-II

दिनांक 30.08.2017 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई दिनांक 08.08.2017 की मंत्रिमंडल टिप्पणी का सारांश

xxxx xxxx xxxx xxxx

"5.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा. (अनुबंध-I) के रूप में संलग्न अनुसूची-II ग के तहत समतुल्यता का निर्धारण करने से संबंधित है, निम्नलिखित लागू होगा जैसा कि लोक उद्यम विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सलाह दी गई है। नोडल विभाग अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लोक उद्यम विभाग तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सुझाए गए सामान्य सिद्धांतों का समर्थन किया है।

लोक उद्यम विभाग- "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीपीएसई को चार अनुसूचियों (क, ख, ग और घ) में आईडीए पैटर्न पर वेतनमान के अलग-अलग स्तरों, पर्क्स और भत्तों, परिवर्तनीय वेतन, वहनीय अवधारणा आदि सहित श्रेणीबद्ध किया गया है और साथ ही गैर-कार्यपालक स्तर के पदों की संख्या फ्लैक्सिबल होती है और उसका निर्धारण कर्मचारी संघों के साथ वेतन/मजदूरी संबंधी बातचीत के पश्चात सीपीएसई के संबंधित बोर्डों द्वारा किया जाता है, अत: सीएसई की स्थिति भारत सरकार के पदाधिकारियों की वेतन पद्धति एवं भत्तों की तुलना में एकदम अलग होती है। इसलिए केंद्र सरकार के समूह क, ख, ग और घ स्तर के पदों के साथ सीपीएसई के पदों की ठीक-ठीक समतुल्यता का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है। सभी कार्य-पालक स्तर के पद अर्थात बोर्ड स्तर के कार्य-पालक और बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे के अधिकारी, जो प्रबंधकीय स्तर के पद हैं, इस परंतुक के अध्यधीन कि जिन कार्य-पालकों की वार्षिक आय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा., समय-समय पर यथा संशोधित, में उल्लिखित मानदंड के अनुसार 6.00 लाख से कम है, उन्हें 'क्रीमी लेयर' नहीं माना जाएगा।"

वित्तीय सेवाएं विभाग - बैंक और बीमा संगठन - "(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों के कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I को भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के समतुल्य माना जाएगा; और

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों में कार्यरत लिपिकों और चपरासियों को भारत सरकार के समूह 'ग' कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा। तदनुसार दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा. के अनुसार, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I और इससे

अधिक के अधिकारियों को क्रीमी लेयर के रूप में माना जाएगा। पीएसबी, वित्तीय संस्थाओं और पीएसआईसी में लिपिकों और चपरासियों के लिए, आय मानदंड उपर्युक्त संदर्भित का.ज्ञा., समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार अर्थात 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। इन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा. में यथा उल्लिखित निम्नलिखित अपवादस्वरूप लागू किया जाएगा:-

i) पुत्र (पुत्रों) और पुत्री (पुत्रियों), यदि पिता/माता पीएसबी, वित्तीय संस्थान और पीएसआईसी में लिपिक और चपरासी हैं और वह 40 वर्ष की आयु में अथवा इससे पहले पीएसबी, वित्तीय संस्थान और पीएसआईसी के कनिष्ठ ग्रेड स्केल-। हासिल कर लेता/लेती है,

ii) माता-पिता के पुत्र (पुत्रों) और पुत्री (पुत्रियों) जिनमें से एक अथवा दोनों पीएसबी, वित्तीय संस्थान और पीएसआईसी में कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-। और इससे अधिक के स्केल में हैं और ऐसे माता या पिता का देहांत हो जाता है अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं।

iii) ओबीसी श्रेणी की कोई महिला पीएसबी, वित्तीय संस्थान और पीएसआईसी के कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-। या इससे अधिक स्केल के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है और वह भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हो।"

xxxx xxxx xxxx xxxx

"9. मंत्रिमंडल का अनुमोदन

मंत्रिमंडल का अनुमोदन निम्नलिखित के लिए प्रार्थित है:

(i) उपर्युक्त पैरा 5.1 में वर्णित ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा आदेश जारी होने की तारीख से आय सीमा को 6.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने के संबंध में,

(ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन के साथ संल्ग्न अनुसूची के भाग-।।-ग के संदर्भ में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु संदर्भ मानकों के अनुरूप वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आदेश जारी करने संबंधी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाएगा जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के संबंध में तत्काल क्रमिक आदेश जारी करेंगे।